न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 1/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 9.1.2018

अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 बजरंगलाल आत्मज प्रताप जाति मीणा निवासी भदकडी तहसील खानपुर जिला झालावाड।

2 धन्नालाल आत्मज प्रताप जाति मीणा निवासी भदकडी तहसील खानपुर जिला झालावाड।

...अपीलांट

बनाम

1 कंचन बाई पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी भदकडी तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल मकान नम्बर 2–ए गली नम्बर 6 सरस्वती कॉलोनी बारां रोड कोटा जरिये मुख्तार रामदयाल आत्मज मांगीलाल जाति मीणा निवासी भदकडी तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी मकान नम्बर 2–ए गली नम्बर 6 सरस्वती कॉलोनी बांरा रोड, कोटा।

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खानपुर जिला झालावाड बांरा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री वीरेन्द्र राठोर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

:::निर्णय:::

दिनांक 20.2.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 102/16/अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कंचनबाई बनाम बजरंगलाल आदि मे पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि कंचनबाई पत्नी मांगीलाल मीणा निवासी भदकडी तह0 खानपुर ने जरिये मुख्तारआम रामदयाल आ0 मांगीलाल जाति मीणा निवासी भदकडी के तहसीलदार खानपुर के नामा0 सं0 34 दिनांक 17.2.1983 से प्रसन्न होकर अधीनस्थ न्यायालय मे राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम भदकडी मे ख0 नं0 14 की 2 बीघा 7 बिस्वा किस्म बजंड भूमि जिस पर रास्ता चला आ रहा था उसको बजरंगलाल व धन्नालाल ने भूमि अपनी भूमि के पास की छोटी पट्टी बताकर अवैध रूप से आवंटन करवा लिया जिसको तहसीलदार ने गैर खातेदारी के स्थान पर सीधी खातेदारी मे दर्ज करने का दिनांक 17.2.1983 को आदेश पारित कर नामा0 सं0 34 तस्दीक कर त्रुटि की है। अतः नामा0 सं0 34 निरस्त किया जाकर ख0 नं0 14 की 1 बीघा 1 बिस्वा का आवंटन निरस्त किया जावे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त आशय की प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर तहसीलदार खानपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.2.1983 नामा0 सं0 34 ग्राम भदकडी तहसील खानपुर खारिज कर तहसीलदार खानपुर की रिपोर्ट के आधार पर बजरगंलाल, धन्नालाल द्वारा गे0मु0नाला, चारागाह एवं कंचनबाई की भूमि पर अतिक्रमण किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार खानपुर को पृथक से पत्र जारी करने का दिनांक 26.12.2017 को निर्णय पारित किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट बजरगलाल, धन्नालाल द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवधि बाधित अपील के बावत आर्डर 41 नियम 3 (ए) सीपीसी का आदेश पारित किये बिना अपील को अन्दर मियाद दर्ज कर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलांट आवंटन के बाद 1983 से बहैसियत खातेदार काबिज चला आ रहा है तथा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये किसी खातेदार को बेदखल करने का कोई

अधिकार प्राप्त नही है। नामा0 सं0 34 आवंटन के पश्चात का निर्णय है। मूल आवंटन आदेश निरस्त नही किया है ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई औचित्य नही है अतः जेरअपील निर्णय विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन की पत्रावली तलब कर अध्ययन किये बिना मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर भी कोई ध्यान नही यदिया कि दिनांक 17.2.83 को अपीलांट के अलावा अन्य 4–5 व्यक्तियो को भी आवंटन हुआ था तथा उनके कोई आवंटन निरस्त नही हुये है। गिरदावरी की नकल व तहसीलदार की रिपोर्ट परस्पर विरोधाभाषी है अपीलांट की भूमि पर कोई रास्ता नही है। उस पर वर्तमान मे भी धनिया व सोयाबीन की फसल है अतः रास्ते का कथन पूर्ण रूप से गलत बताया गया है। अपीलांट की आवंटित भूमि ग्राम भदकडी पंचायत मरायथा मे आती है जबकि रेस्पो0 कम–1 की भूमि ग्राम मूण्डला मे है जो ग्राम पंचायत मूंडला के अंतर्गत है तथा चरागाह भूमि के समस्त अधिकार पंचायत मे निहित होता है तथा अपीलांट व रेस्पो0 दोनो की जमीनें अलग–अलग गांव व ग्राम पंचायत की होने से रेस्पो0 किसी भी रूप से अपीलांट की आराजी मे से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वर्तमान मे विवादित आराजी व तहसील खानपुर मे सेटलमेंट चल रहा है यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी मे होते हुये सेटलमेंट के दौरान उक्त स्थिति को परिवर्तित करने का कोई औचित्य नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने मे कानूनी त्रुटि की है। रेस्पो0 द्वारा ख0 नं0 15/587 की 20 बीघा भूमि जो पूर्व मे 100 बीघा का एक था उसमे से कुछ समय पूर्व कय की है इसलिये उसे रास्ते के संबध मे कोई सुखाधिकार प्राप्त नही होता है। किसी भी आवंटन को राज0 एग्री0 (एलोटमेंट ऑफ लेण्ड फोर एग्री0परपज) नियम 1957 के अन्तर्गत ही निरस्त किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। रेस्पो0 द्वारा लगभग 35 साल बाद अपील पेश की गई जो प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर है वैसे भी 35 साल मे व्यक्ति को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरकरण निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.12.2017 अपास्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि दिनांक 17.2.1983 को आवंटन आदेश के खिलाफ रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील 2016 मे पेश की गई जो प्रथम दृष्टया ही मियाद बाहर होने से खारिज योग्य थी। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपील मे आवंटन एवं म्यूटेशन निरस्त करने का अनुतोष चाहा था प्रस्तुत अपील मे बेदखली का अनुतोष नही चाहा गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने नामा0 सं0 34 दिनांक 17.2.83 को जेरअपील निर्णय से खारिज किया किन्तु आवंटन खारिज नही किया है। बहस मे बताया कि 34 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 41 नियम 3 (ए) सीपीसी का आदेश पारित किये बिना मियाद मे मानने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन पत्रावली को तलब किये बिना व अध्ययन किये बिना तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। मैने वर्ष 1983 से 2016 की गिरदावरी रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार धनिया–सोयाबीन की फसल होना प्रकट है रास्ता नही है। चारागाह भूमि किस्म बजड है। अपीलांट की आवंटित भूमि ग्राम भदकडी पंचायत मरायथा मे आती है जबकि रेस्पो0 कम–1 की भूमि ग्राम मूण्डला मे है जो ग्राम पंचायत मूंडला के अंतर्गत है तथा चरागाह भूमि के समस्त अधिकार पंचायत मे निहित होता है तथा अपीलांट व रेस्पो0 दोनो की जमीनें अलग–अलग गांव व ग्राम पंचायत की होने से रेस्पो0 किसी भी रूप से अपीलांट की आराजी मे से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। बह समे आगे बताया कि खानपुर तहसील मे वर्तमान मे सेटलमेंट चल रहे होने की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को थी ऐसी स्थिति मे दौराने सेटलमेंट भूमि की स्थिति को परिवर्तित करने का कोई औचित्य नही है। रेस्पो0 को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो आवंटन को धारा 14 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही कर निरस्त कराना चाहिये था। रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आवंटन आदेश पेश नही किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट मे मेरे आवटित खसरा नं0 का हवाला नही है पानी का बहाब होने का उल्लेख है रास्ता नही है। उक्त तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस मे प्रकट किया कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय मे नामा0 सं0 34 के विरूद्ध अपील पेश की है आवंटन आदेश की नही की। ऐसी स्थिति आवंटन आदेश की पत्रावली तलब करने का कोई

औचित्य नही था। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त आराजी गैर खातेदारी दर्ज न कर सीधे ही नियम विरूद्ध खातेदारी मे दर्ज की गई जो कतई न्याय संगत नही है तहसीलदार इसके लिये सक्षम नही है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2015 (1) पेज 506 का न्यायिक उद्धरण पेश किया। बहस मे आगे बताया कि नामा0 सं0 34 के विरूद्ध अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व व्यथित पक्षकार होने से प्रा0 पत्र धारा 96 सीपीसी के साथ पेश की गई थी जिसका कोई प्रतिउत्तर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे नही दिया गया। अतः प्रभाव शून्य आदेश के मामले मे विलम्ब घातक नही है तथा ऐसे प्रभाव शून्य आदेश को व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी भी समय चुनोती दी जा सकती है। इस संबध मे आरआरटी 2013(1) पेज 436 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज/राजस्व रिकार्ड तथा जेरअपील निर्णय का आध्योपांत अवलोकन कर प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आरआरटी 2015 (1) पेज 506, आरआरटी 2013(1) पेज 436 पर गौर किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कंचनबाई पत्नी मांगीलाल मीणा निवासी भदकडी तह0 खानपुर जरिये मुख्तारआम रामदयाल जाति मीणा निवासी भदकडी द्वारा नामा0 सं0 34 दिनांक 17.2.1983 के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्याया0 मे अपील पेश कर उपरोक्त वर्णित नामा0 सं0 34 व ख0 नं0 14 की 1 बीघा 1 बिस्वा का आवंटन निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.12.2017 से कंचनबाई की ओर से जरिये मुख्यतारआम प्रस्तुत उक्त आशय की अपील को स्वीकार कर तहसीलदार खानपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.2.1983 नामा0 सं0 34 ग्राम भदकडी तहसील खानपुर खारिज कर तहसीलदार खानपुर की रिपोर्ट के आधार पर बजरगंलाल, धन्नालाल द्वारा गे0मु0नाला, चारागाह एवं कंचनबाई की भूमि पर अतिक्रमण किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु तहसीलदार खानपुर को पृथक से पत्र जारी करने का आदेश पारित किया गया है जिसे न्यायोचित नही ठहराया जा सकता क्योंकि नामान्तरकरण की कार्यवाही मे तहसीलदार खानपुर की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलांट बजरगंलाल, धन्नालाल द्वारा गे0मु0नाला, चारागाह एवं कंचनबाई की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने, बेदखली का आदेश दिया जाना विधिसम्मत नही ठहराया जा सकता तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील मे रेस्पो0 द्वारा उक्त अनुतोष चाहा गया था। प्रश्नगत नामा0 सं0 34 तहसीलदार खानपुर द्वारा दिनांक 17.2.1983 को ख0 नं0 14 की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि छोटी पट्टी एडवाईजर कमेटी द्वारा बजरगलाल, धन्नालाल को आवंटन होने के फलस्वरूप तस्दीक किया जाना प्रकट होता है ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय को आवंटन संबधी पत्रावली तलब कर तथा उसका समुचित परीक्षण कर विधिसम्मत आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय दिनांक 26.12.2017 मे उक्त तथ्यो का अभाव रहा है ऐसी स्थिति हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। लिहाजा उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.12.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को उक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत आदेश/निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित/रिमांड किया जाना उचित समझते है।

6 उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अति0 जिला कलक्टर झालावाड द्वारा प्रकरण सं0 102/16/अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान कंचनबाई जरिये मुख्यतारआम रामदयाल मीणा बनाम बजरंगलाल वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 26.12.2017 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर झालावाड को आवंटन संबधी पत्रावली तलब कर निर्णय के चरण बिन्दू 5 मे विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड/प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 20.2.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा